न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/000230 **दायरा दिनांक : 20.07.2018**

उनवान

राजेन्द्र कुमार, आयु 47 वर्ष आत्मज घनश्याम, जाति मीणा, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– हनीफ खॉ आत्मज लटूर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– इकबाल खॉ आत्मज लटूर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– जायदा बानो आत्मजा लटूर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– जहीर बानो आत्मजा लटूर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– लतीफन पत्नी स्वर्गीय लटूर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– नूरमोहम्मद आत्मज कादर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– अब्दुल रफीक आत्मज समद खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8– अब्दुल सिद्धीक आत्मज समद खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9– हनीफ बानो आत्मजा समद खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10– अमीना बानो आत्मजा समद खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11– शकीला आत्मजा समद खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

12– ईदी पत्नी स्वर्गीय समद खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

13– जमीला आत्मजा भंवर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

14– अब्दुल गनी आत्मज नजीर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

15– अब्दुल वहीद आत्मज नजीर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

15/1– आबिद

15/2– फरीद

15/3– शैफू

15/4– रूकसाना

15/5– रेहाना

16– अब्दुल रजाक आत्मज नजीर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17– अब्दुल हमीद आत्मज नजीर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

18– रशीदन आत्मजा नजीर खां, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

19– मुन्ना आत्मज अलानूर, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

20– नईम आत्मज अलानूर, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

21– शहजाद आत्मज अलानूर, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

22– अकीला आत्मजा अलानूर, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

23– कन्नू आत्मजा अलानूर, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

24– परवीन आत्मजा अलानूर, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

25– ममनुन आत्मजा अलानूर, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

26– फिरोज खॉ आत्मज मक्कड़, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

27– पिन्टू ममनुन आत्मज मक्कड़, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

28– रिजवाना आत्मज मक्कड़, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

29– अन्जुम आत्मज मक्कड़, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

30– ममनुन पत्नी स्वर्गीय मक्कड़, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

31– अहसान आत्मज बाबू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

32– लुकमान आत्मज बाबू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

33– फरीदन आत्मजा बाबू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

34– श्राजुन आत्मजा बाबू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

35– नसीमन आत्मजा बाबू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

36– अखरोज आत्मजा बाबू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

37– छीतरी जोजे आत्मज रहमान खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

38– हफीज आत्मज रहमान खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

39– अब्दुल सईद आत्मज रहमान, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

40– नफीज आत्मज रहमान, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

41– रजाक आत्मज रहमान, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

42– मजीद आत्मज नत्थे खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

43– रशीद आत्मज नत्थे खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

44– मकसूदी आत्मजा नत्थे खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

45– हनीफा आत्मजा नत्थे खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

46– अजीजा आत्मजा नत्थे खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

47– इरफान आत्मज उस्मान, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

48– इरशाद उर्फ टीटू आत्मज उस्मान, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

49– फातमा पत्नी स्वर्गीय उस्मान, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

50– नसीर भाई आत्मज गुलाब खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

51– बफात भाई आत्मज गुलाब खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

52– रहमत बाई आत्मजा गुलाब खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

53– घीसा बाई आत्मजा गुलाब खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

54– बानो बाई आत्मजा गुलाब खॉ, जाति मुसलमान, निवासी गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

55– पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

56– राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार खानपुर

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 13.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 645/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 (जिसे दिनांक 04.04.2016 संशोधित किया गया है) से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीपि रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर के माल में हाल जमाबंदी संख्या नई 6 पुरानी 94 की खसरा नं. 3/512 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 4 की 11 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 7 की 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 8 की 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 10 की 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 52 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 55 की 30 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 79 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 81 की 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 82 की 7 बीघा 3 बिस्व, खसरा नं. 83 की 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 84 की 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 85 की 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 86 की 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 108 की 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 109 की 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 283 की 18 बिस्वा, खसरा नं. 304 की 18 बिस्वा, खसरा नं. 305 की 10 बिस्वा, खसरा नं. 306 की 11 बिस्वा, खसरा नं. 307 की 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 308 की 17 बिस्वा, खसरा नं. 309 की 19 बिस्वा, खसरा नं. 310 की 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 311 की 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 312 की 19 बिस्वा, खसरा नं. 313 की 19 बिस्वा, खसरा नं. 314 की 08 बिस्वा, खसरा नं. 315 की 7 बिस्वा, खसरा नं. 316 की 15 बिस्वा, खसरा नं. 317 की 1 बीघा, खसरा नं. 318 की 16 बिस्वा, खसरा नं. 319 की 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 320 की 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 321 की 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 322 की 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 323 की 1 बीघा, खसरा नं. 324 की 7 बिस्वा, खसरा नं.325 की 12 बिस्वा, खसरा नं. 326 की 9 बिस्वा, खसरा नं. 327 की 13 बिस्वा, खसरा नं. 403 की 3 बिस्वा, खसरा नं. 404 की 2 बिस्वा, खखसरा नं. 405 की 3 बिस्वा, खसरा नं. 407 की 3 बिस्वा, खसरा नं. 408 की 1 बिस्वा, खसरा नं. 409 की 2 बिस्वा, खसरा नं. 410 की 3 बिस्वा कुल 48 किता की 169 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 (जिसे दिनांक 04.04.2016 संशोधित किया गया है) से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 की खतौनी सं. 6 की 48 किता की 169 बीघा 10 बिस्वा आराजी में विधिवत विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया जो कि दो भाग से मिलकर बनी है एक भाग 33 किता का 154 बीघा 10 बिस्वा है तथा दूसरा भाग 15 किता का 15 बीघा है। वाद के लम्बन के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलार्थी को उक्त 33 किता के भाग में से खसरा नम्बर 79 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 86 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा कुल 7 किता कुल रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा (नामान्तरकरण सं. 610 की प्रविष्टि जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज है) का बेचान किया है। वाद के लम्बन के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलार्थी को उक्त 15 किता के भाग में से खसरा नम्बर 304 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 306 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 1 बीघा 3

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 317 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 318 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 320 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल 15 किता कुल रकबा 15 बीघा में से 1/6 हिस्सा (नामान्तरकरण सं. 521 की प्रविष्टि जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज है) का बेचान किया। वादीगण द्वारा अपील के चरण संख्या 2 में वर्णन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को सूचित नहीं करने तथा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण वादीगण के बेचानशुदा हिस्से में अपीलार्थी का नाम निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री में नहीं आ सका जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 14.06.2018 को होने पर अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से न्यायालय में अपने हकों व अधिकारों हेतु अपील प्रस्तुत की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 (जिसे दिनांक 04.04.2016 संशोधित किया गया है) अपास्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.06.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.03.2016 (जिसे दिनांक 04.04.2016 संशोधित किया गया है) के निर्णय के विरूद्ध हमने अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद विभाजन के सम्बन्ध में दावा किया था जिसमें हनीफ वादी था। वादी ने दावा लम्बित रहते हुए राजेन्द्र कुमार को दिनांक 11.05.2011 को जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया, जो नामान्तरकरण संख्या 610, 521 से दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री 2018 में पारित हुई जिससे वादग्रस्त आराजी पुनः खातेदारान के नाम नामान्तरकरण से दर्ज हो गया। हमने जो आराजी क्रय की है उसे हमारे नाम दर्ज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर.टी. 2011–12 पेज 289 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री की अपील पेश की है। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी कैसे क्रय की यह तथ्य अपील में अंकित नहीं किये। अपीलांट ने अंकित किया कि दिनांक 25.05.2009 से दावा चल रहा है ऐसी स्थिति में दावे पक्षकार बनाना चाहिए था यदि वादग्रस्त आराजी क्रय की है। धारा 5 मियाद अधिनियम में कोई ठोस कारण देरी का अंकित नहीं किया है। धारा 96 के प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी कैसे क्रय की इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया, अपील अपीलांट खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1073 की नजीर उद्धरत की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट के तहत दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 (जिसे दिनांक 04.04.2016 संशोधित किया गया है) से तहसीलदार खानपुर को आदेश दिया कि ग्राम गाडरवाडानूरजी की जमाबंदी संवत 2062–65 की खतौनी संख्या 6 की 48 किता की 169.10 बीघा आराजी में वादीगण के जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार विभाजन किये जाने हेतु पक्षकारान की सहमति बनाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। पक्षकारान के सहमत नहीं होने की स्थिति में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें।

अधीनस्थ न्यायालय के इसी निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि दौराने वाद वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 ने अपीलार्थी को अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर दिया। वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 ता 5 द्वारा अपीलांट के पक्ष में किये गये बेचान के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 610 की प्रविष्टि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में एवं नामान्तरकरण संख्या 521 की प्रविष्टि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज है। अपीलांट के इस कथन की पुष्टि अपील के साथ सलंग्न ग्राम गाडरवाडानूरजी, तहसील खानपुर की खाता संख्या 9 व 7 की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 से होती है। वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन के वाद में क्रेता अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 (जिसे दिनांक 04.04.2016 संशोधित किया गया है) खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर पुनः तनकीवार विधिसम्म्त निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा